

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

प्रा.पत्र / सरफेसी / 68 / 2025

इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड रजि० ऑफिस:- 6 फ्लोर, प्लॉट नं० 15, इन्सटीट्यूटनल ऐरिया सेक्टर-44, गुरुग्राम, हरियाना-122002, क्षेत्रीय शाखा:- पी.एस. टॉवर, फर्स्ट फ्लोर, कुम्हेर गेट सरक्यूलर रोड, नीयर आईसीआई बैंक भरतपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी धर्मराज गीणा

....प्रार्थी / प्रतिभूति लेनदार

बनाम

1. श्रीमती पप्पी पत्नी ओमप्रकाश शर्मा } पता-1 निवासीयान बंजी राज० 321303  
2. श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश शर्मा } पता-2 पट्टा नं.-51, ग्राम बंजी, तहसील  
3. श्री पप्पू उर्फ ओमप्रकाश शर्मा } सेवर जिला भरतपुर राज० 321303  
.....ऋणी / सहऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरेस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात 'एक्ट' से संबोधित किया गया है बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

आदेश

दिनांक 13.11.2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थीगण/ऋणी ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 28.03.2023 को जरिए ऋण अनुबन्ध खाता संख्या HLBRRNLONS000005071020/AP10170661 से ऋण राशि रु. 5,00,000/- (शब्देन पाँच लाख रुपये मात्र) की ऋण सुविधा ली गई थी। उक्त ऋण सुविधा के एवज में अप्रार्थी० ने अपनी आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 039 ग्राम बन्जी, ग्राम पंचायत एक्ट, पंचायत समिति सेवर जिला भरतपुर जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित हैं, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 297.78 वर्गगज है। जिसकी चतुर्थ सीमाएँ इस प्रकार हैं उत्तर में नोहरा गिरवर का, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में रमेश चन्द शर्मा, पश्चिम में गली है जो अप्रार्थी० श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा के क्षेत्राधिकार में स्थित है। ऋण के एवज में बंधक रखी गई उक्त सम्पत्ति जिसको प्रार्थी बैंक/फाईनेन्स कम्पनी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था पर कब्जा दिलाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

.....2

जिला कलक्टर  
भरतपुर

अप्रार्थी० के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि नियत समय अवधि में जमा नहीं कराई गई, जिसके कारण प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाता को दिनांक 10.04.2025 को एन.पी.ए. (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 10.04.2025 तक कुल बकाया राशि 5,07,851/- रुपये ब्याज एवं अन्य खर्चे, अप्रार्थी० पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी० ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक/फाईनेन्स कम्पनी द्वारा एक्ट की धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 11.04.2025 को अप्रार्थी० को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी० द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अपनी उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा- 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 11.04.2025 अप्रार्थी० को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, साथ ही दिनांक 02.05.2025 के जनसत्ता समाचारपत्र में भी प्रकाशन कराया गया है। नोटिस रिसीव्ड होने के उपरान्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी अप्रार्थी० ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बावजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रूप से सिव्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरेस्ट एक्ट 2002 अन्तर्गत धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी०/ऋणी/सहऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता उपलब्ध हेतु निर्देशित किया जाना उचित पाते हैं।


.....3

जिला कलक्टर  
भरतपुर

(2) प्रा.पत्र/ सरफेरी/68/2025  
इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमि. बनाम श्रीमती पप्पी वगै०

अतः आदेश है कि :-

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 039 ग्राम बन्जी, ग्राम पंचायत एक्ट, पंचायत समिति सेवर जिला भरतपुर जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित हैं, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 297.78 वर्गगज है। जिसकी चतुर्थ सीमाएँ इस प्रकार हैं उत्तर में नोहरा गिरवर का, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में रमेश चन्द शर्मा, पश्चिम में गली है जो अप्रार्थी श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा के क्षेत्राधिकार में स्थित है। ऋण के ऐवज में बंधक रखी गई उक्त सम्पत्ति जिसको प्रार्थी बैंक/फाईनेन्स कम्पनी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

  
(कमर उल जमान चौधरी)  
जिला कलक्टर  
भरतपुर